# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

**GCMS NO.-2023/20**
मिसल नम्बर–8/2023

मनीष शर्मा उम्र 54 वर्ष पुत्र रोशनलाल शर्मा जाति भार्गव निवासी 8/371, वार्ड नं0 5, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ़ – राजस्थान

प्रार्थी।

बनाम

1. आशा पाठक पुत्री सुरेन्द्र सिंह जी जाति ब्राहम्ण
2. उषा पाठक पुत्री सुरेन्द्र सिंह जी जाति ब्राहम्ण
3. विनय पाठक पुत्र सुरेन्द्र सिंह जी जाति ब्राहम्ण
   निवासीगण म0नं0 255 न्यू रोड़ सादुल कॉलोनी, एक्सरे वाली गली, नजदीक नारायण ब्रेड फैक्ट्री, बीकानेर
4. दिनेश पुत्र कस्तूरीलाल भार्गव जाति भार्गव निवासी कुन्हाडी थाने के पीछे कुन्हाडी कोटा हाल निवासी म0नं. 76 श्रीनाथ आवास, अग्रवाल होटल के पीछे, बून्दी रोड कोटा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 18/11/24.

उपस्थिति:–

1.श्री रघुवीर सिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी ।

2.श्री राजकुमार वर्मा अप्रार्थी नं0 1, 2, 3 अधिवक्ता।

3.श्री राजेन्द्र कुमार अप्रार्थी नं0 4 अधिवक्ता

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 457/501 रकबा 0.52 है0 एवं खसरा नं0 544/207 रकबा 1.20 है0 कुल किता 02 रकबा 1.72 है0 वाके ग्राम गोरधनपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। जिस पर वादी का बहैसियत खातेदार मालिक व काबिज चला आ रहा है। वादी कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर–ट्रॉली व अन्य उपकरण मशीन एवं कृषि उपज लाने व ले जाने के लिए सदैव से गोरधनपुरा गांव से ड्रेन के सहारे स्थित रास्ते से होकर आराजी पर आने जाने का रास्ता खसरा नं0 204 की

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे होकर ख0नं0 457/501 में आता है तथा ख0नं0 457/501 की दक्षिणी पश्चिमी मेड के सहारे सहारे ख0नं0 457 के उत्तरी–पूर्वी कोने से होकर ख0नं0 544/207 की आराजी पर जाने का रास्ता चला आ रहा है। ख0नं0 204 की आराजी राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 के नाम एवं ख0नं0 457 की आराजी प्रतिवादी क्रम 4 के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। उपरोक्त ख0नं0 की आराजी में से रास्ते का उपयोग वादी अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 457/501 एवं खसरा नं0 544/207 की आराजी पर कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए सदैव से करता चला आ रहा है। आराजी ख0नं0 204 के खातेदार प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 वादी को उक्त आराजी से मेड के सहारे स्थित रास्ते से नही निकलने दे रहे है। इसलिए वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 457/501 रकबा 0.52 है0 एवं खसरा नं0 544/207 रकबा 1.20 है0 कुल किता 02 रकबा 1.72 है0 वाके ग्राम गोरधनपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा की कृषि भूमि पर काश्तकारी प्रयोजन हेतु ख0नं0 204 की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे व ख0नं0 457 के उत्तरी–पूर्वी कोने पर 30 फीट चौडा रास्ता दिये जाने एवं उक्त रास्ते का राजस्व रेकॉर्ड मं स्थायी रूप से गैर मुमकिन रास्जा दर्ज किये जाने एवं नक्शा ट्रेस तरमीम कर जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 01 लगायत 03 ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर यह जाहिर किया है कि प्रतिवादीगण की आराजी वहां बरसों से मौजूद है, प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी वादी को आराजी पर जाने से नही रोका और ना ही कोई मशीनरी को आराजी पर जाने से रोका। वादी कोई ऑर्गेनिक कृषि नही करता है ना ही वादी को कृषि के लिए कोई बडी मशीनों की आवश्यकता होती है, वादी वहां पर साधारण कृषि कार्य करता है। वादी को अपनी आराजी पर जाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिसका उपयोग कर वादी हमेशा कृषि कार्य करता आ रहा है।

अप्रार्थी क्रम 04 ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए यह जवाब प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी क्रम 02 अपनी आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी की आराजी के पूर्व खातेदार वर्ष 1968 में जो क्रय की गई थी, जिस पर आज काबिज काश्त है, उसके पूर्व खातेदार किस खसरा नं0 पर होकर आते–जाते थे तथा उसी रास्ते की मांग की जावे एवं वादी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 27.06.2024 को प्रस्तुत हुई, जो शामिल पत्रावली है।

हमने उभय पक्षकारों के अभिभाषक की बहस सुनी।

वादी के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह बहस की गई कि तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 27.06.2024 के आधार पर निर्णय किया जावे।

अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 की ओर से यह मुख्य बहस की गई कि प्रतिवादीगण अपनी आराजी पर कई वर्षों से खेती कर रहे है। वादी को अपनी आराजी पर जाने के लिए दो वैकल्पिक रास्ते मौजूद है। तहसीलदार, पटवारी द्वारा भूमि का मौका मुआयना के दौरान प्रतिवादीगण को उपस्थित होने के संबंध किसी प्रकार की सूचना नही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 04 की ओर से यह मुख्य बहस की गई कि वादी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है लेकिन फिर भी वादी को अधिकतम 04 से 05 मीटर तक ही रास्ता दिया जावे।

हमने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र उसके जवाब तथा उभय पक्ष की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित है कि खसरा नं0 457/501 व 544/207 के आसपास कोई सरकारी अथवा प्रचलित रास्ता नही है। उक्त परिस्थिति में दोनो ही खसरा नम्बर को उनके समीप स्थित खसरा नम्बर से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है इस हेतु तहसील रिपोर्ट में खसरा नम्बर 457/501 का रास्ता खसरा नम्बर 204 के सहारे–सहारे 4 मीटर चौडाई में तथा खसरा नम्बर 544/207 के लिए खसरा नम्बर 457 में से 4 मीटर चौडाई का रास्ता प्रस्तावित किया गया। अप्रार्थी नं0 4 द्वारा भी दौराने बहस 4 मीटर तक का रास्ता दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण में रास्ते का आत्यान्तिक अभाव है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस तहसील रिपोर्ट के आधारा पर निर्णय का अनुरोध किया गया है तथा अप्रार्थी नं0 4 द्वारा 4 मीटर तक का ही रास्ता दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 457/501 व 544/207 तक कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु तहसील द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 204 व 457 में से 4 मीटर चौडाई में मार्ग उपलब्ध कराया जावें।

तहसील द्वारा प्रस्तुत नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि सर्वप्रथम रास्ते के क्षेत्र की गणना कर डीएलसी दर से दोगुनी राशि अप्रार्थीगण को उपलब्ध करावें व तत्पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ते की तरमीम की जावें। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19/11/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा